

Case - Disposal of ...

अनुसूचि. 14 फारम 462 (देखे अभिलेख हरतक 194 'क' का नियम 129)

21/1/17

ता. आदेश पत्रक संख्या

केश का प्रकार

47/2016-17

जिला सत्र सि.0

किसी काम संख्या और

परीक्ष

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे

में दिष्णणी तारीख सहित

21/1/17 भारतीय स्टैंड बैंक खुर्दी
 शाखा की ओर से अधिवक्ता ने उपपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दाखिल किये हैं कि
 निलाम देनदार श्री शिवबल्लभ मिश्रा
 पिता श्री स्व. जगदीश मिश्रा
 प्राण जोषीजी बजापोटा खुर्दी
 शाना खुर्दी के विरुद्ध उपान्त में लिखित बैंक ऋण बाकी है उनके
 विरुद्ध निलाम पत्र वाद दायर कर वसूली किया जाय। बैंक की ओर से कोर्ट की
 राशि का स्टाम्प रु.0 का दायर किया गया है जो अभिलेख के
 साथ संलग्न है। उपर्युक्त
 तथ्य से मैं संहमत हूँ। निलाम देनदार धारा 7 पी0डी0अर0 एक्ट के अन्तर्गत
 नोटिस निर्गत करें तथा अभिलेख दिनांक 21/2/17 को प्रस्तुत करें।
 लेखापित एवं सत्यापित

रु. 750
 143847=00
 a/c - 5410=00
 p.f.c - 40=00
 Power - 110=00
 Total: 149407=00

21/01/17

निलाम पत्र पदाधिकारी
 खुर्दी।

21/01/17

निलाम पत्र पदाधिकारी
 खुर्दी।

21/2/17

नौमि लामिका अपा/दिनांड

21/3/17 ये रके।

21/3/17

नौमि लामिका अपा/दिनांड
 अनुपस्थित। दिनांड 21/4/17 ये
 रके।

21/4/17

देवदा अनुपस्थित। दिनांड
 20/5/17 ये रके।

20/5/17

देवदा अनुपस्थित। दिनांड
 20/6/17 ये रके।

20/6/17
23/11/18

अभिलेख स्थापित। 21/11/18
वसुन्दी हेलु देना का नौलख
निर्गत रल निर्गत का व

2/10

10/11/20

अभिलेख स्थापित। 21/11/18
वसुन्दी हेलु नौलख निर्गत रल निर्गत
14/11/20 का निर्गत

निर्गत प्रकार

14/11/20

अभिलेख स्थापित। नौलख
नामिका जप

निर्गत प्रकार

देनदार द्वारा बैंक के साथ संपर्क
कर दिया गया है। संपर्क के प्रति संतुष्ट
है। अतः वाद की आवश्यकता समाप्त
जाती है।



100/20

अभिलेख उपस्थापित। बैंक द्वारा
विक्रय विलेख बैंक द्वारा विक्रय
किया गया है कि देनदा विक्रय
द्वारा 14947.20 (प्र. ला. 3 अंकाए)
हजा. ला. सा. सा. रु. 20000/-
अब इनके रूप में बैंक का
व्यय नहीं है।

अतः बैंक का विलेख
आधार पर वाद की कार्यवाही समाप्त
किया जा रहा है साथ ही आप सुहास
अभिलेख का राजस्व रु. 20000/-
अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापत्र सं. 9 मिलापित।



निलाम प्रपदाधिकारी
सह
अनुमण्डल प्रदाधिकारी
रूरी।



निलाम प्रपदाधिकारी
सह
अनुमण्डल प्रदाधिकारी
रूरी।